न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

प्रार्थना पत्र 14(4) 01/18 तारीख रजू–

1– छोटया पुत्र गोविन्दा जाति माली निवासी बागोरा तहसील खण्डार।

2– मोतीलाल पुत्र गोविन्दा जाति माली निवासी बागोरा तहसील खण्डार।

3– मुन्ना पुत्र पून्या जाति माली निवासी बागोरा तहसील खण्डार। ——प्रार्थी

बनाम

1– धुड़या पुत्र देवा जाति मोग्या नि॒वासी जाखोदा तहसील खण्डार।

2– चेयरमेन आवंटन सलाहकार समिति जरिये एसडीओ स0मा0। ——अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक– 5.7.18

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14(4) एल0आर0एक्ट के अर्न्तगत प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 08/02/1983 को ग्राम बागोरा के आराजी खसरा नम्बर 631 रकबा 10 बीघा भूमि आंवटन की गई । उक्त आवंटन के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही आवंटन आदेश दिनांक 08/02/1983 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि चेयरमेन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में किया गया आवंटन नियम विरूद्ध है तथा निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तत्समय ग्राम बागोरा में स्थित भूमि खं0नं0 613 रकबा 10 बीघा का आंवटन हेतु आवेदन किया था। लेकिन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खं0नं0 631 का आवंटन किया गया है। जब अप्रार्थी सं0. 1 द्वारा खं0नं0 613 का आवंटन चाहा गया था तो आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किस प्रकार बिना किसी आवदेन के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अप्रार्थी सं0 1 के हक में खं0नं0 631 का आवंटन कर दिया। जिससे स्पष्ट है कि आवंटन सलाहकार समिति ने अवंटन रूल्स के विपरीत जाकर उक्त आवंटन किया है जो निरस्तनीय है। उक्त आवदेन पत्र आवंटन रूल्स के नियम 8(2) के तहत प्रार्थना पत्र को वाद पत्र के रूप में सत्यापित कराया जाना चाहिए जबकि मूल प्रार्थना पत्र पर सत्यापन नहीं किया गया है। इस प्रकार अलोटी का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक रूप से ही खारिज होने योग्य था। उक्त वाद आरजीयात के संबंध एक बाद माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डार में मु0नं0 3/18 विचाराधीन है। उक्त वाद में स्वयं अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपने बयान में स्वयं ने अंकित किया है कि ग्राम बागोरा में मेरी 10 बीघा जमीन है। जो मेरे नाम है। इस जमीन में से आधी जमीन को अलॉट होने के बाद से में व आधी जमीन को प्रार्थीगण काश्त कर रहे है। अप्रार्थी सं0 1 के उक्त बयान से ही स्पष्ट है कि उक्त वाद आरजीयात का आवंटन होने के पश्चात् आवंटी को मौके पर आंदिनांक तक कब्जा नहीं दिया गया है ना हि वर्तमान में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा है, साथ ही अदालत मातहत की पत्रावली में पटवारी हल्का द्वारा उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा दिये जाने के संबधं में कोई कब्जा रिपोर्ट भी संलग्न नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि आवंटित भूमि पर आंदिनांक तक अप्रार्थी सं0 1 का कोई कब्जा नहीं है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने उक्त आवंटन आदेश दिनांक 08/02/83 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी धुडया मोग्या (धूमंतू) जाति का है। इनको इनको सरकार बसाने की मंशा रखती है। दिनांक 08/02/1983 को बागोरा में अप्रार्थी सं0 1 को खं0नं0 631 में 10 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। जिसमें कोरम भी पूरा है। गैर खातेदारी भी दर्ज हो गई है तथा नामान्तकरण संख्या 20/04/2004 से उक्त वाद आराजीयात अप्रार्थी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज हो गई है। आवंटन से अब तक अप्रार्थी सं0 1 का उक्त वाद आराजीयात पर लगातार कब्जा चला आ रहा है। जिसकी गिरदावरी पेश की हुई हैं। उक्त भूमि आवंटन को 35 वर्ष हो चुके है। प्रार्थीगण उक्त गरीब की भूमि को हथियाना चाहते है, साथ की वकील अप्रार्थी ने उक्त आवंटन आदेश दिनांक 08/02/83 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। आलोच्य आंवटन आदेश दिनांक 08/02/83 अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन हुआ ,जिसे लगभग 35 वर्ष का अरसा हो गया है तथा उक्त आंवटन आदेश में आवंटन सलाहकार समिति के कोरम में उपस्थित संरपच, प्रधान पंचायत समिति,

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विकास अधिकारी, की सिफारीश भी की है किन्तु आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवंटि द्वारा ग्राम बागोरा में स्थित भूमि खं0नं0 613 में से 10 बीघा भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया गया था। किन्तु आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खं0नं0 613 के स्थान पर खं0नं0 631 में से 10 बीघा भूमि का आवंटन किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि आवंटन सलाहकार सिमिति द्वारा आवेदन पत्र के अनुसार भूमि का आवंटन न कर अन्य खं0नं0 की भूमि का आवंटन किया है जो नियम विरूद्ध आवंटन होने से प्रारम्भ से ही शून्य है, तथा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खण्डार में विचाराधीन मु0नं0 3/18 में आवंटी स्वयं ने अपने बयान में बताया है कि ग्राम बागोरा में मेरी 10 बीघा जमीन है। जो मेरे नाम है। इस जमीन में से आधी जमीन को अलॉट होने के बाद से मैं व आधी जमीन को प्रार्थीगण (छोटया वगै0) काश्त कर रहे है। प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा आंवटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन के पश्चात् आवंटी द्वारा कभी सम्पूर्ण भूमि काश्त नहीं की गई है। अतः मेरे अभिमत में आवंटी को किया गया आवंटन प्रारम्भ से शून्य होने के कारण निरस्त योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, साथ ही अप्रार्थी सं0 1 धुडया पुत्र देवा जाति मोग्या वाके ग्राम बागोरा के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 08/02/83 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार खण्डार को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाद आराजीयात पूर्वानुसार राजकीय भूमि दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.7.18 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर